LHAVE OF ABSENCE TO SHRI ANAND CHAND

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the following letter dated the 28th July, 1962, has been received from Shri Anand Chand from Switzerland: —

> "As I am in Europe owing to reasons of health I shall not be able to be present at the opening of the Rajya Sabha Session scheduled to begin in August, 1962. I accordingly request you to kindly grant me leave of absence from the same."

It is the pleasure of the House that permission be granted to Shri Anand Chand for remaining absent from all meetings of the House during the current session?

No. hon. Member dissented.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

ALLOTMENT OF TIME FOR MOTION *RE* FOURTH ANNUAL REPORT OF THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that under rule 153 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, the Chairman has allotted two hours for the consideration of the motion regarding the Fourth Annual Report of the Life Insurance Corporation of India for the year ended the 31st December; 1960.

The time given for the motion is 3 P.M.

THE NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION BILL, 1962—continued.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Desai, how much more time would you take? There is no time limit, but there are many speakers. So please be brief,

SHRI D. B. DESAI (Maharashtra): Madam, at the last sitting I was trying to make out a case against the contemplated bifurcation of the Agricultural Produce Development and Warehousing Corporation. I had intended to refer to one of the passages from the Rural Credit Survey Committee Report. This is what it says on page 346: —

> "It will be recalled that we are proceeding on the assumption, which seems very valid, that as regards planned co-ordination and financial provision at the all-India level, the broad division of functions is that the Reserve Bank should look after the credit programme and the Government of India after the other parts of the economic programme, the main responsibility in either case resting with the State Governments. It follows from this that in conjunction with the State Governments, the Ministry of Food and Agriculture should be associated with the development of co-operative processing and co-operative marketing on a nation-wide scale. In other words, the M'nistry would have to be institutionally linked with this part of the programme no less than with the one concerned with the development of storage, warehousing and distribution. For the latter, we have mentioned a national board as providing the link We envisage the board as equally serving the purpose of an all-India planning, financing and co-ordinating body in the context of the development, by State Governments, of co-operative marketing, co-operative processing and other co-operative economic activity. An appropriate designation for this body would therefore be the National Co-operative Development and Warehousing Board."

I refer to this passage, Madam, to show that the Board was to deal with credit and other allied activities in the rural sector, in agricultural production, that is, processing, transport, marketing and warehousing too.

[Shri D. B. Desai.]

Now I want to place before this House one additional piece of evidence which is from the Report of the Estimates Committee, 1960-61. I would like to refer to the Report of the Estimates Committee regarding the National Co-operative Development and Warehousing Board; this is what they say on page 5: —

"The Committee are not sure if the separation of the functions of warehousing from the National Co-operative Development and Warehousing Board would achieve that degree of integrated approach and planning as is necessary for the successful implementation of the objectives and if the same measure of co-ordination as exists at present will obtain between the Co-operative Development Board and the Central Warehousing Corporation merely by giving representation, as proposed, to each body on the other.

If, however, the functions relating to warehousing are to be taken away from the Board it may be a moot point whether there should be a separate Co-operative Development Board and whether the same work could not be done by the Ministry itself. The Committee feel that even if for the sake of some administrative advantage the integrated set-up is to be disturbed, there may not be sufficient justification for the continued existence of a separate Board merely for disbursing funds to the State Governments since it is done on the basis ef programmes and policies already approved by Government and for which financial ceilings are fixed by the Planning Commission. In their view, the extent of co-ordination with the Central Warehousing Corporation that will be achieved in the changed set-up by representing each of the bodies on the other, can be obtained in the absence of the Board equally at the official level or by means of an advisory committee composed of officials and non-officials representing (banking and other c6nnected interests and other persons experienced in the cooperative field."

The Committee have given an Appendix, Appendix VI, in which they have specifically mentioned "analysis of the more important recommendations", and the more important dations", and the more important recommendation recorded here the Board. So, I would plead Madam, that the Deputy Minister of Co-operation has not made out any case whatsoever to bifurcate the Board. On the contrary it will be seen from my argument that the Board was contemplated for all cooperative activities, and even the warehousing activity. It is supposed in some section as only a commercial activity, but the Planning Commission and the Rural Credit Survey Committee have both emphasized that warehousing operations at the village level should be on a ci-operative basis. That means tha. storage, warehousing and marketi) *g* functions in the rural activities car.uot be bifurcated from the Co-operative activity. But here the Co-operative Department itself is rather nurry r g up to oifur-cate this sort of activity. I want to know whether the ivainister has consulted the Board itself because he has praised the Board like anything. The Board has done so many good functions. So I want to know whether the Board has been consulted in regard to this bifurcation. I think the Board has not ibeen consulted. Perhaps the Minister may say that actually all policy decisions regarding the activities of the Board are to be taken by the Government of India or the Ministry concerned. But I may ask one question: what then is the function of the Board itself? The original Act and also the proposed legislation in clause 9 have mentioned:

"Subject to the provisions- of this Act, the functions of the Corpora-

tion shall be to plan and promote programmes for the production, processing, marketing, storage, export and import of agricultural produce and notified commodities through co-operative societies."

If the Board is not consulted on the policies to be followed or the problems to be tackled by the Ministry itself, then what is the use of the Board? I may quote here:

"During the last five years, the experience shows that the Board has not been consulted. On the contrary, the Board has been bypassed in a number of cases."

I also quote one instance. When co-operative farming was introduced as a pilot project, the Co-operative Development Board was never consulted. On the contrary, the Ministry decided that a separate Co-operative Farming Board might be set up. I may refer here to one of the letters of the Ministry which was laid on the Table of this House—ride page 81 of Appendix XXXII to the Official Report of the Rajya Sabha—and it is said:—

"A separate agency may be established at the Centre for promotion of co-operative farming. This may be in the shape of a new Board or as a sub-committee of the National Co-operative Development and Warehousing Board."

Actually, we do not know whether it is going to be a sub-committee of the National Co-operative Development and Warehousing Board or whether it is going to be a separate Board.

Again, I may say that this Board is meant to finance the State Governments for participation in the share-capital of the societies on a long-term basis. But actually th»re are two agencies which advance long-term loans. One agency is the Reserve Bank and the other is the Co-operative Board. I want to know whether even after the Rural Credit Survey Committee's Report—the Government have accepted that Report—these two agencies are implementing this. The duplication of agencies is a sort of hinierance in co-operative activities, as I tried to emphasise at the last sitting. In regard to co-operative farming, the States are directed to borrow from the Reserve Bank—that is a long-term operation fund—and they are directed to participate in the share-capital of the farmers' societies. Here, the Co-operative Board itself has advanced some loans to the State Governments for participation in the share-capital of something like three thousand societies, in service societies ajid in some dormant societies to revitalise some of the very weak societies. So, what is the use of duplicating a number of activities? Therefore, I would like to emphasise that the Ministry itself is trying to sabotage its own policy. Actually, we cannot blame the official or the non-official agencies that they have not fulfilled their functions or duties or tasks. The Ministry itself is sabotaging the co-operative sector, I would like to emphasise.

I would request the Minister to consider this piece of legislation afresh because this is not going to serve any purpose, is not going to serve the co-operative movement as such. There •will be this Board; there will again be another Board; there will be .some sort of supervising agencies; there will be the National Co-operative Union and the State Co-operative Unions looking after co-operative farming and a number of other agencies. So, the Ministry is rather multiplying the number of agencies. I should say that this Bill should be dropped. In this piece of legislation, there are some very vital defects, I am trying to be as brief as possible because there are a number of amendments in my name and I will deal with them in detail at that time, if possible. But I have to emphasise here two or three points.

[Shri D. B. Desai.]

The Minister has placed before this House a sort of replica of the existing Act. They have not drawn any experience from its working. There was that joint Board. That Board was represented by ten officials. The Government of India had nominated ten officials. There were five officials from the Reserve Bank of India and other bodies. Actually, it was an officials' Board, I should say. I do not want to go into the controversy whether officials or non-officials are efficient or whether who should be encouraged. But I want to emphasise this point that if you want to establish a Corporation to serve cooperative activities and at the same time to co-ordinate them and plan them the Rural Credit Survey Committee has proposed that there should be a link. Link between whom? Link between the Government of India on the one hand and the various agencies at the State level on the other. There are a number of agencies. There is the Reserve Bank of India, there is the State Bank and there are various other Boards which deal with cooperative activities. This Corporation is supposed to serve as a link. And actually the composition of this Corporation must be a sort of a federating unit having a federating function. If various interests are represented in the Corporation, it will be a sort of a supervising body in the right spirit. But actually what happens here is that only the State Bank and the Reserve Bank are represented ind the State Co-operative Banks are not represented. The National Cooperative Union is represented. The Central Ware^usin" C-roor^tion is represented. But the State apex banks are not represented. So, I want to emphasise that if you want at all to establish a Corporation, then there should be a real link betwen the co-operative activities in the State.Again, I want to remind the Minister that if at all he wants that this Bill should be carried through, then he must at least assure this House that clause 9(1) shall be implemented in the right spirit, because up till now, excepting the financial functions, nothing has been done. Even the rules specifically provide what activities are to be undertaken. The Corporation is to report back to the Government what activities have been undertaken. But actually we have I not seen anything. So, if at all the Minister insists on establishing a Corporation, we want a specific assurance that this Corporation will be entrusted at least with planning, co-ordinating and promoting activities, of course according to the policy adopted by the Planning Commission or the Government of India. The Corporation should have a free hand, it should be given some latitude and it should be given initiative. But in this Act itself, I do not see anything like that. So, a specific and significant omission is there. I would like to say that we find nowhere the word 'co-ordinate' in this piece of legislation. Actually what does 'co-ordinate' mean? The co-ordinating function of the Board has been emphasised during the last five years. Even the Ministry has tried to emphasise on the State Governments that co-ordination must be done. But the Corporation which is contemplated to co-ordinate the activities is itself devoid of the powers of co-ordination. So, I would request the Minister to include the word 'co-ordinate' in clause 9(1). There is my amendment to that effect, no doubt. But myself being on this side of the House, I do not think that my amendment will be carried through. Therefore, I request the Minister to consider this point.

Then there is another point about the corporate functions of the Corporation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you take much more time?

SHRI D. B. DESAI: Just ten minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Ten minutes more?

SHRI D. B. DESAI: I will finish "within ten minutes. I now refer to the provision in clause 16:—

"16. (1) The Corporation shall prepare before the commencement of each year a statement of programme of its activities during the forthcoming year as well as a financial estimate in respect thereof.

(2) A statement prepared under sub-section (1) shaU, not later than three months before the commencement of each year, be submitted to the Central Government for approval."

Actually I do not know what the Minister intends the statement to contain and whether he will place it on the Table of the House, because the Minister at the time of every Budget will be coming before the House to get the sanction from the House for the funds, but he wants to withhold all the policies, all the pieces of information which have been supplied by the Board itself. I say: Why not this statement also be laid on the Table of the House when other reports are laid on the Table of the House under some provision? There are some reports which are to be laid on the Table of the House and so why cannot this statement also be laid on the Table of the House? It is because of this, I want to make out one point here that generally, when a corporate body is established—and it has become a habit with the Government of India to establish corporations; a number of corporations have come up—these corporations are taking away the powers from the Parliament. Actually, Parliament is supposed to supervise, a sort of controlling body controlling the activities of all the Government Departments, but at the same time a number of functions have been taken out, .lrom time to time, from the "Parliament. Now it has become a sort of indirect control, because the Ministers are responsible to the House and the various corporations are responsible to the Ministries; the corporations are not responsible to the House here. So it has become a sort of indirect control when Parliament is supposed to sanction the funds.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): After all Parliament's responsibility is through Ministers.

SHRI D. B. DESAI: Yes, definitely; so why discuss Budgets here then? Let them pass their Budgets and just give us a report that they have sanctioned these Budgets. If that is the view taken, then there is no necessity that we should have any control over Budget Estimates. So actually all their activities are indirectly «nd slowly taken away from Parliament, and I would urge on at least the Minister for Con.-nunity Development, Panchayati Raj ai.i Co-operation, the Minister who is trying his level best to introduce Panchayati Raj, to introduce political democracy in actual practice and to leave real power in the hands of the rulers in the villages, that he should not be a party to this sort of taking away the powers from the Parliament itself. With these words I request one again tho Minister that he should consider thii legislation afresh, and I would urge him to drop the Bill as it will not serve any purpose and to improve the existing Board, if possibl5 with the help of additional experience, with the heln of fuller knowlf>d<*<* and with the help of the knowledge acquired of additional activities in the countryside.

Madam, I thank you.

श्री देवकीनंदन नारायण (महाराष्ट्र) : आदरणीय उपसभापति जी, आप जानती हैं कि यह देश कृषि प्रधान देश है और हमारे करोड़ों किसानों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं। सैंकड़ा ७० कुटुम्ब ऐसे हैं जिन के पास पांच एकड़ से कम जमीन है। यदि इन

[श्री देवकीनंदन नारायण]

किसानों को अपनी उन्नति करनी है तो इनका सहारा सिवाय कोआपरेटिव सोसाइटी के और दूसरा नहीं हो सकता। धनवानों को, उद्योगपतियों को या व्यापारियों को कोआपरेटिव सोसाइटी की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जरूरत किसानों, मजदूरों या देहाती कारीगरों को है और इसी निगाह से कई वर्षों से इस देश में कोआपरेटिव का काम होता आया है। हर्ष की बात है कि अब कुछ वर्षों से इस काम में कुछ तेजी आई है और इधर दो तीन वर्षों से जब से कि हमारे आदरणीय मंत्री श्री डे साहब के ऊपर यह जिम्मेदारी आई है, कुछ तेजी बढ़ी है।

अभी अभी मेरे भाई देसाई बोल रहे थे। वे कल बोले और आज बोले और सारी तकरीर में सिवाय कोआपरेटिव मूवमेंट की बुराइयां दिखलाने के कोई खूबी उन्होंने नहीं दिखलाई। यहां तक कि कल बोलते वक्त वे कोआपरेटिव फ़ार्मिंग के सम्बन्ध में कुछ बुराइयां दिखलाने के लिए यू० पी० तक पहुंच गये जब कि वे कोल्हापुर के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के हैं और खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके शहर में, उनके जिले में और महाराष्ट्र में कोआपरेटिव का काम बहुत अच्छा हो रहा है। कोल्हापुर जिले में कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज बहुत अच्छी चल रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस कोआपरेटिव के काम में कहीं खराबियां हैं ही नहीं। मैं यह नहीं कहता कि सब काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है।

SHRI D. B. DESAI: Actually what is the share capital contributed by the peasants there?

श्री देवकीनंदन नारायण : I am coming to that, my friend; please wait. मैं ने यह नहीं कहा कि सब काम बिलकुल सोलह आने हो रहा है। अगर सोलह आने होता तो फिर हम और आप चर्चा ही क्यों करते? परन्तु मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप बोलने के लिए खड़े हों तो सिर्फ़ खराबियां ही न दिखलायें, खूबियां भी दिखलायें।

SHRI D. B. DESAI: I was not referring to that; but I was dealing with the other functions of the Co-operative Board.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You had spoken for nearly forty-five minutes and now let Mr. Deoki-nandan Narayan go on uninterrupted.*

श्री देवकीनंदन नारायण : मैं खूबियां दिखलाऊं तो इस में कोई विशेषता नहीं है। जब आप विरोध में अपने लिए कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका यह फर्ज है कि आप पहले खूबियां दिखलायें और बाद में बुराइयां दिखलाने की कोशिश करें तब तो कोई आपको सुनेगा, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देगा।

SHRI D. B. DESAI: The Minister knows that.

श्री देवकीनंदन नारायण : खैर, जो कुछ हो, मैं इस बिल पर आने से पहले दो एक बातें और कहना चाहता हूं। मंत्री महाशय यहां मौजूद हैं। जिस तरह से हमारी खेती की उन्नति के लिये बहुत से उत्तेजन दिये जाते हैं, जो अधिक पैदा करते हैं, उन को इनाम दिये जाते हैं, सार्टिफिकेट दिये जाते हैं; उपाधियां दी जाती हैं, उसी तरह से मेरी प्रार्थना है मंत्री महाशय से कि इस कोआपरेटिव के काम को जो आज देश में बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, जो सोसाइटियां चला रही हैं, जो कार्यकर्ता चला रहे हैं, जो जिले चला रहे हैं उन को भी इनाम दिये जायें, सार्टिफिकेट दिये जायें, उपाधियां दी जायें। कृषि पंडितों की तरह आप सहकार पंडित भी बनायें। इस तरह से आप उत्तेजन देंगे तो कार्यकर्ताओं को उत्तेजन मिलेगा और सोसायटियों को भी उत्तेजन मिलेगा।

श्री अकबर अली खान : बहुत पंडित हो जायेंगे।

श्री देवकीनंदन नारायण : हो जाने दीजिये ।

मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो सोसायटी, जो कोआपरेटिव यूनियन, या जो बैंक सारे देश में अच्छे से अच्छा काम करती हो और जिस वर्ष जो पहला नम्बर प्राप्त करे, उस वर्ष उस को इस कारपोरेशन में एक रेप्रेजेंटेटिव की जगह दी जाये । आप सब सदस्यों को वहां नामिनेट करना चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि उत्तेजन के तौर पर, इनकरेजमेंट के तौर पर जो सोसायटी, जो यूनियन या जो बैंक सारे देश में अच्छे से अच्छा काम करती हो, उस को इस में रेप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिये ।

आप जानते हैं कि एक जमाना था जब हमारे गांव एक तरह से कोआपरेटिव सोसायटी थे, उद्योग धंधों के गिल्ड्स थे ; उन्हीं में से शायद हमारी ये जातियां भी पैदा हुई हैं । उनमें बहुत अच्छा काम होता था और उन गिल्ड्स की विशेषता यह थी कि वे स्वयं प्रेरित थीं, स्वयं शासित थीं । दूसरा कोई उन को सिखलाने वाला इस तरह का नहीं था जो उन की पीठ पर बैठा रहे । आज तो यह हालत है कि अधिकतर सोसायटियों का निर्माण सरकारी कर्मचारी करते हैं । और वे यह कोशिश करते हैं कि साल में इतनी कोआपरेटिव *सोसायटी तो बननी ही चाहियें* और इस को बनाये बगैर चलेगा नहीं, तो इस तरह लोगों का खुद का इनीशियेटिव उस में से खत्म हो जाता है, उस में जितना इंटरेस्ट लेना चाहिये वह नहीं लेते हैं । आफिसर्ज अक्सर देखा करते हैं कि किसी तरह से साल का टार्गेट पूरा कर दें, इतना कर्ज बांटना है वह बंट जायें, इतनी सोसायटियां खड़ी करनी हैं वह खड़ी हो जायें, परन्तु जहां तक जनता का सम्बन्ध है, जनता जब स्वयं प्रेरणा से किसी काम को करेगी तब ही कोआपरेटिव मूवमेंट की जड़ नीचे जायगी नहीं तो यह एक मैकेनिकल मामला हो कर रह जायेगा । मैं खास कर मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप देख रहे हैं कि सोसाइटियों की तादाद तो बड़ी तेजी से बढ़ रही है पर दुःख के साथ कहना होगा कि कोआपरेशन उतना ही रुखसत होता जा रहा है । जैसे शरीर के बहुत मोटे होने के बाद उस में प्राण कमजोर हो जाता है उसी तरह से कोआपरेटिव के इस विस्तार के साथ उस की गहराई कम हो रही है और वह दुर्बल बन रहा है । हालांकि फैल बहुत रहा है मगर फैलने का मतलब यह नहीं है कि ताकत बढ़ रही है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि कोआपरेटिव सोसायटियों की संख्या भले ही बढ़े और हिसाब-किताब तथा और और बातें आप खूब देखें परन्तु असलियत से नजर न दूर करें, असलियत को न भूलें, हर कदम पर यह देखें कि कोआपरेशन कहां तक बढ़ रहा है, आपस में प्रेम और सहकार कहां तक बढ़ रहा है । कहीं कोआपरेटिव सोसाइटियों में आपसी झगड़े के मूल तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं कोआपरेटिव सोसाइटियों में पंचायतों ने जैसे गांवों को—किसानों को आपस में विभाजित कर दिया है, ऐसी बात तो नहीं हो रही है, यह आप को देखना चाहियें और इस ओर ज्यादा से ज्यादा निगाह देनी चाहिये कि कोआपरेशन बढ़ाने के लिये कौन सी तरकीब होनी चाहिये । आप के बहुत से अफसर हैं जो कि आडिटिंग करते हैं, एकाउण्टिंग करते हैं, और न जाने क्या क्या देखते हैं, मगर कोई यह नहीं देखता कि वहां प्रत्यक्ष में कोआपरेशन *बढ़ रहा है या नहीं, प्रत्यक्ष में सहकार बढ़* रहा है या नहीं । प्रेम बढ़ रहा है या नहीं, सब मिल कर काम करते हैं या नहीं । कोआपरेटिव मूवमेंट का मतलब क्या है ? मतलब यह है कि गांव वाले मिल कर काम करें, एक दूसरे को सहायता दें और कम से कम बाहर की मदद लें । इसी लिये वह सोसायटी अच्छी मानी जाती है जो कि बाहर से कर्जा नहीं लेती, जो बाहर से मदद नहीं लेती । That is called first class society. तो इसी तरह से आप को इस काम की ओर निगाह देनी चाहिये और यह कोशिश करनी चाहिये कि कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये पहले कोआपरेशन बढ़े और बाद में और बातें पैदा हों । असलियत को आप भूल

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

जायंगे तो आप के हाथ में स्कैलेटन रह जायेगा, हाथ में मुर्दा रह जायेगा और जान हाथ से चली जायेगी।

अब, इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरी कुछ सूचनायें हैं, वह मैं करना चाहता हूं। पहली सूचना इस बारे में है कि इस में यह है :

"'Agricultural produce' means any of the following classes of commodities, namely:—

(i) foodstuffs, including edible iol-seeds;"

मैं पूछना चाहूंगा कि इस में मिल्क (दूध) को क्यों नहीं दाखिल किया गया ? किसान के लिये दूध उतना ही महत्व का प्रोड्यूस है जितना कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो सकता है।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : मछली भी हो।

श्री देवकीनन्दन नारायण : बिना गाय-बैल के खेती हो नहीं सकती, गाय-भैंस से ही उन को पूरक उद्योग मिलता है, यह उन का सप्लीमेंटरी आकुपेशन है, यहां तक कि गाय-भैंस किसान कुटुम्ब के ही मेम्बर्स हैं, हमारे किसान-कुटुम्ब के ही ये मेम्बर्स हैं। इस हिसाब से मैं आप से कहना चाहूंगा कि foodstuffs including edible oil-seeds के बाद "and milk" और लिख दिया जायें; क्योंकि यह उन के जीवन का, उन के उत्पादन का, बहुत बड़ा सहारा है और जिस का खेती से सीधा सम्बन्ध है। गाय-बैल किसान के कुटुम्ब के ही मेम्बर्स हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिये आप दूध को अलग नहीं कर सकते। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हालांकि मैं मानता हूं कि फूड-स्टफ्स में फल और तरकारी को शामिल करते हैं, लेकिन यदि न करते हों तो उस को भी यहां शामिल कर लिया जाये।

इस के बाद मैं आता हूं क्लाज ३ पर। यह constitution of the Corporation के बारे में है। इस में C 1. 3(3) (v) में लिखा है : --

"eight non-officials nominted by the Central Government of whom:—

(a) one shall be a representa tive of the National Co-operative Union of India;

(b) two shall be persons who have special knowledge of rural economics and eo-operation; and

(c) five shall be persons recom-commended by State Govern ment, . . .eifht non-officials nominated" by the Central Govern-mentinatedRfffar"one shall be a representative of the National Co-operative Union of India,

(b) two shall be persons who have special knowledge of rural economics and co-operation, chosen by the Gov-ernment, and (c) five will be recom-mended by the State Governments." Where then remains nomination?

PROF. M. B. LAL (Uttar Pradesh): When the word "chosen" will be used, the word "nomination" will be done away with. That is what you want.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: What I want to say is when one shall be the representative of the National Co-operative Union of India, he will be the representative sent by the Union. But, this nomination governs all the three and not one, as you say.

SHRI D. B. DESAI: What about sub clause (1)?

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: I am talking about sub-clause 3(3)(v). That is why the word "nominated" should be removed from here and the clause should read thus:

"The eight non-officials will be as follows:—

(a) one shall be a representative of the National Co-operative Union of India;

(b) two shall b_e persons who have special knowledge of rural economics and co-operation chosen by Government, and

(c) five shall be persons recom mended by State Governments on a zonal basis."

These five will be recommended by the States and so they will be there. Where is the question of nomination?

SHRI D. B. DESAI: I did not opp'ose nomination.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: You are not my subject of discussion* and you cannot be my subject,
"nor जो शब्द है,
dant है, ऐसा मैं मानता हूं ।

इसके बाद, I come to clause 9(3) इस ओर मैं मंत्री महाशय का लक्ष्य खींचना चाहता हूं । यह क्लाज इस तरह से है :—

"The Corporation shall so exercise its functions under this section as not to interfere with the activities of the Khadi and Village Industries Commission established under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956."

मैं जानना चाहता हूं कि यह इंटरफियरेंस का सवाल पैदा कैसे हुआ ? यहां इंटरफियरेंस का मतलब क्या ? आता है क्यों? क्या बात है कि यहां इंटरफियर शब्द लाया गया ? क्या शक पैदा हुआ, क्या सवाल पैदा हुआ ? यह मैं जानना चाहूंगा । मैंने खुद सोचा कि क्या बात है, यह कारपारेशन खादी कमीशन के काम में कैसे इंटरफियर कर सकता है, क्योंकर करेगा, क्यों शक पैदा हुआ ? तो यह सोचते सोचते कि यह इंटरफियर शब्द क्यों है और कहीं न कहीं मंत्री महाशय को या गवर्नमेंट को शक हो रहा है तो इसको बहुत कुछ देखने पर मुझे यह मिला जहां कि कारपोरेशन का काम बतलाया है, "Functions of Corporat on."

यहां यह बात है :—

"... shall be to plan and promote programmes for the production, processing, marketing, storage, export and import Q! . . ."

प्रोडक्शन में कोई सवाल नहीं आता और आता भी होगा तो बहुत कम आता है । खास करके सम्बन्ध आयेगा प्रासेसिंग में । यानी मुझे डर है कि इस कारपोरेशन का कहीं ऐसे काम न करने पड़ें जिससे कि खादी कमीशन के काम में रुकावट पैदा हो जाये, या इण्टरफेरेंस हो जाये । How is this word "interfere" going to be defined?

प्रासेसिंग को ले लीजिए आप । हैण्ड पाउण्डिग ऑफ राइस सैंकड़ों गांवों में चल रहा है, जिससे लाखों देहाती आदमी अपना पेट भरते हैं । जहां हैण्ड पाउण्डिंग का काम हो रहा है वहीं गवर्नमेंट की सम्मति से, यानी गवर्नमेंट की मदद से, राइस फैक्टरीज खोली जा रही हैं । क्या इसी का मतलब है इण्टरफियरेंस ? यही ध्यान में आपके है ? जिस वक्त आपने ये शब्द लिखे आपको यह शक था कि कहीं खादी कमीशन का हैण्ड पाउण्डिंग का काम शुरू हो तो वहां हमें किसानों की कोआपरेटिव सोसाइटी को एक आध फैक्टरी खोलने की इजाजत देनी पड़े Then there could be interference. यह एक बहुत बड़ा सवाल है ।

इसी तरह से ऑइल प्रेसिंग के सिलसिले में हम बहुत सी जगह देख रहे हैं कि जहां कोल्हू चल रहे हैं, सैंकड़ों घानियां चल रही हैं, वहां आपकी ही मदद से, कोआपरेटिव सोसाइटी की ओर से एक आइल मिल निकलती है जिससे कि हजारों कोल्हू बन्द हो जाते हैं । क्या आप इसी को इण्टरफियरेंस कहते हैं ? और इसी को यदि आप कहते हैं तो क्या मैं इसका अर्थ यह समझूं कि आप अब आगे से ऐसा काम नहीं होने देंगे ? क्या आप वायदा करते हैं कि जहां जहां कोल्हू चलते हैं, हैण्ड पाउन्डिंग होती है, वहां फैक्टरी नहीं खुलेगी, जहां अम्बर चर्खे चल रहे हैं, वहां कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल नहीं निकाली जायेगी ? यह कहा गया था कि जहां अम्बर चर्खे अच्छी तादाद

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

में चलेंगे वहां कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल नहीं निकाला जाये । जिस वक्त राइस बिल यहां पेश हुआ उस वक्त यह कहा गया था कि जहां हैण्ड पाउण्डिंग का काम चल रहा है वहां राइस मिल नहीं खोला जायेगा । हलर टाइप राइस मिल को कभी इजाजत नहीं दी जायेगी । ये तमाम बातें जो गांवों में देहातियों की बेहतरी के लिये खादी कमीशन कर रहा है उन कामों में आप इण्टरफियर नहीं करेंगे, इसके लिये कहां तक वायदा आप करते हैं या चाहते हैं कि ऐसा ही हो ? नहीं तो एक तरफ से कोआपरेटिव मूवमेंट चलेगा, एक तरफ से खादी कमीशन का काम होता रहेगा, दोनों में मुठभेड़ होगी और जो दुर्बल है—देवो दुर्बलघातकः—वह कहीं का न रहेगा और इस न्याय से खादी कमीशन को नीचा देखना होगा और आपका खाली इण्टरफियरेंस शब्द बना रहेगा । इसलिये मैं चाहूंगा। आप इस बात को साफ करें कि आप किस मतलब से इण्टरफियरेंस शब्द रख रहे हैं और इण्टरफियरेंस से खादी कमीशन को आप किस तरह से बचायेंगे ?

इसके बाद क्लाज़ नम्बर १० आता है । इसमें कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी किस तरह से बनाई जायेगी । जब सारा कारपोरेशन जो २५-३० आदमियों का होगा और वह नामिनेशन से बनेगा, फिर किस कारण से इस कारपोरेशन को अपनी एग्जीक्यूटिव बनाने का अख्तयार नहीं देते? क्या जरूरत है कि उसमें भी सरकार का नॉमिनेशन हर जगह हो, यानी—

Executive Committee of the Corporation should also be nominated. I cannot understand when the whole Corporation is a nominated one:

"There shall be an Executive Committee of the Corporation which shall consist of the following Members:

(a) The Vice-Chairman of the Corporation, (b) Three members nominated by the Central Government in such manner as may be prescribed from among the members of the Corporation."

Why should not the members of the Corporation be allowed to elect these three members? They would elect from among themselves.

वे जो कारपोरेशन के मेम्बर होंगे वे आपके ही नॉमिनेट किये हुए हैं, फिर मैं नहीं समझा कि क्या कारण है कि नामिनेटेड मेम्बरों में से फिर नॉमिनेट करने की सरकार को जरूरत पड़ी? एक्जीक्यूटिव कमेटी के लिये इसी तरह से—

"Two members nominated by the Central Government from among members of the Corporation referred to in clause (v) of the subsection (3) of Section 3."

कॉरपोरेशन के मेम्बर्स में से फिर आप नॉमिनेट करते हैं । कॉरपोरेशन के मेम्बर्स को ही यह अख्तयार क्यों नहीं देते, यह मेरी समझ में नहीं आया । तो मैं यह कहूंगा कि आप क्यों नहीं इस कॉरपोरेशन को अख्तियार देते कि वह अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी अपने आप चुन ले ? क्योंकि आखिर वे चुने जायेंगे तो आपके ही नॉमिनेटेड मेम्बर्स में से चुने जायेंगे, कोई बाहर का तो आने वाला नहीं है ।

इस के बाद और भी अख्तियार उस बेचारी एग्जीक्यूटिव कमेटी को नहीं रखे । क्लाज १० सब-क्लाज (२) (बी) में लिखा है :—

"The Vice-Chairman of the Executive Committee shall be nominated in such manner as may be prescribed from among the members referred to in clause '(b)' of subsection (1)."

यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बर्स आप ने नॉमिनेटेड बना दिये और नॉमिनेटेड बना देने के बाद भी आप कहते हैं कि वे अपना

वाइस चेयरमैन तक न चुनने पायें, उस को भी हम नॉमिनेट करें। यानी, जिस कारपोरेशन को आप बनाने जा रहे हैं, जिस कारपोरेशन के मेम्बर्स आप ने नॉमिनेट किये होंगे, एग्ज़ीक्यूटिव आप ने नॉमिनेट की होगी, उस एग्ज़ीक्यूटिव का वाइस चेयरमैन चुनने का अधिकार नहीं दिया जाये, यह मुझे हास्यास्पद मालूम देता है।

अब एक अमेण्डमेन्ट पेश हुआ है कि इस को जॉइण्ट सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाये। मैं ने समझने की कोशिश की कि क्या कारण है कि मेरे मित्र चाहते हैं कि इस को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय ?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : दुर्भाग्य है।

श्री देवकीनंदन नारायण : आप का तो हो सकता है। मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूं, दूसरे के दुर्भाग्य को भी। मैं यह तो नहीं कहता कि यह बिल निर्दोष है, शुरू से आखिर तक "ए टु ज़ैड" निर्दोष है, मगर छोटी मोटी बातें होती हैं उन के कारण एक बड़े काम को रोक रखना, उस में समय बिताने की कोशिश करना, यह मैं ठीक नहीं समझता।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : जब तक क्राउन है सिर पर, तब तक नहीं समझेंगे आप।

श्री देवकीनंदन नारायण : वह आप के सिर का निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं यह कहूंगा कि जिस नीयत से मेरे मित्र इस तरह का विरोध करते हैं, जॉइण्ट सेलेक्ट कमेटी की बात करते हैं, इस को ढोल में डालना चाहते हैं, उस के साथ कोई ऐसा सबूत उन्होंने नहीं बतलाया कि जिस से ऐसा लगे कि यह बिल आज पास हो जायेगा तो दुनिया डूब जायेगी या कोआपरेटिव मूवमेण्ट डूब जायेगा।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : मैं ने कहा नहीं कि पुराना कानून चल रहा है, काम बराबर चल रहा है और चलता रहेगा। अब आप की समझ मे मेरा भाषण नहीं आया तो मेरा दुर्भाग्य है।

श्री देवकीनंदन नारायण : आप के बहुत दुर्भाग्य हैं, वे इस जन्म में आप से छूटने वाले नहीं हैं। तो, मैं यह कह रहा था कि मैं यह नहीं कहता कि यह निर्दोष बिल है। थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं इस में, परन्तु वे ऐसी नहीं हैं जिन के लिये इस काम को रोका जाये, कोई काम को रोकने की जरूरत नहीं है; क्योंकि जिस उद्देश्य से यह कारपोरेशन बनाया जा रहा है, जिस कोआपरेटिव मूवमेन्ट को इस कारपोरेशन के ज़रिये से पैसा मिलने वाला है, मार्गदर्शन मिलने वाला है, जिस की आज बहुत ज़रूरत है, मैं नहीं समझता उस को क्यों रोका जाये ? कुछ लोगों का स्वभाव हो गया है विरोध के लिये विरोध करना। और कोई काम नहीं उनका। चलती गाड़ी को रोकना, यही उन का फ़र्ज़ रह गया है। और बात भी सच है कि जहां उन्हें यह डर है कि कोई हमारी सुनेगा नहीं वहां वे अपने विरोध की तूती बजाते रहते हैं और अखबार का काम किया करते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह जो जॉइण्ट सेलेक्ट कमेटी की बात है यह बिल्कुल बेकार है और इस से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कुछ तजुर्बे के बाद भी इस मे बदल हो सकता है और आगे चल कर अमेण्डमेण्ट हो सकते हैं, यह नहीं कि आज जो बन गया, सदा के लिये बन गया और उस में कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती। तजुर्बे से, वर्ष छः महीने में या कुछ समय बाद अमेण्डमेण्ट हो सकते हैं। इसलिये मैं नहीं समझता कि कोई कारण है कि सेलेक्ट कमेटी के अमेण्डमेण्ट को पास किया जाये।

उपसभापति : और कितना वक्त लेंगे ?

श्री देवकीनंदन नारायण : वन मिनट : जसाकि मैं ने शुरू में प्रार्थना की कि जो सोसाइटियां हैं, यूनियनें हैं, या बैंक हैं, अगर वे अच्छा काम कर रही हैं तो कॉर्पोरेशन में उन को रिप्रेज़ेंण्टेशन दिया जाये। इस में जिन को रिप्रेज़े टेशन दिया गया है वे सब सरकारी बैंक्स हैं। हिन्दुस्तान में जो कोआपरेटिव मूवमेण्ट चल रहा है उस कोआपरेटिव मूवमेण्ट को इस में कोई खास रिप्रेज़े टेशन नहीं दिया गया है। हर एक स्टेट में कोआपरेटिव बैंक है और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां तक मेरे स्टेट का ताल्लुक है, मैं तजुर्बे से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। That bank is one of the best banks in India. उसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि अगर आप नीचे की सोसाइटियों को देखें, जिले पर आयें, जिले से नीचे आयें, तो आप को देश में बहुत सी सोसाइटियां अच्छा काम करती हुई दिखलाई देंगी। मुझे अपने जिले के बारे में तजुर्बा है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस समय वहां पर करीब १,३०० सोसाइटियां काम कर रही हैं।

एक माननीय सदस्य : कोआपरेटिव सोसाइटियां ?

श्री देवकीनंदन नारायण : कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं और ये सोसाइटियां क्रेडिट से ले कर कोआपरेटिव फ़ार्मिंग तक की हैं। हर तहसील में सेल्स परचेज़िंग यूनियनें, मार्केटिंग सोसाइटी और फ्रूट सेलर्स सोसाइटियां बनी हुई हैं। इन सोसाइटियों से दिल्ली में दो करोड़ रुपये के केले हर साल आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो सोसाइटियां या कोआपरेटिव बैंक अच्छा काम कर रही हैं उनको इसमें अवश्य रिप्रेज़ेण्टेशन दिया जाना चाहिये। मेरे यहां कोआपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बैंक है जो ७ करोड़ रुपये का लेन देन हर वर्ष करता है। चार ईस्टर्न स्टेट्स के जो बैंक कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के मारफत काम करते हैं उनका भी काम इस बैंक के मुकाबले में नहीं हो रहा है जो मेरे जिले में एक बैंक कर रहा है। मैं इस तरह की बात कह कर अपने राज्य या जिले की तारीफ नहीं कर रहा हूं; बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राज्य या जिले या जिला कोआपरेटिव मूवमेण्ट को बढ़ावा दे रहा है या अच्छा काम कर रहा है उसको इसमें रिप्रेजेण्टेशन दिया जाय, ताकि औरों को भी इससे बढ़ावा मिले और उत्तेजना मिले। इस बात को ध्यान में रख कर मैंने अपने जिले का जिक्र किया। मैंने ये बातें अपने जिले की तारीफ करने के लिये नहीं कहीं, यह तो मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा कि जो जिला, कोआपरेटिव मूवमेण्ट को बढ़ावा देता है, उसको आपको बढ़ावा देना चाहिये ताकि उसकी ताक़त और ज्यादा बढ़े। इस तरह की जो सोसाइटियां हैं और जिलों में काम कर रही हैं वे कोआपरेटिव मूवमेण्ट को बढ़ाने वाली हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इस बिल को अवश्य मंजूर करें।

SHRI J. VENKATAPPA (Mysore): Madam Deputy Chairman, at the outset I would like to thank the Chair for having given me this opportunity to express a few of my views on this important Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are not audible. You may move a little forward.

SHRI J. VENKATAPPA: All right, Madam.

This Bill is important because it has been brought forward with the primary intention of promoting the development of output of agriculture, the vocation on which about 68 to 70 per cent of the population of our country living in poverty-stricken; villages depend entirely for their liv-

ing. It would have been appreciated even more if the Bill had contained some provisions of still broader outlook in order to cater to the needs and wants of agriculturists who are always subjected to various natural vicissitudes like . floods, scarcity of water, scanty rainfall and also infections of various diseases which affect their crops. The Planning Commission has also accepted that various experiments through their Plans have proved fruitless because either they were not popularised among the rural folk or there was want of enthusiastic co-cperation of the rural folk. Their co-operation and enthusiasm were not properly encouraged. Their enthusiasm could have been encouraged in so many of the projected plans had they been properly implemented with due representation of the rural folk. In that case they would have been encouraged and induced to participate in many of these activities and the results would then have been something better. The Planning Commission has also accepted in some of its reports that the benefits of the Plans have not reached the rural folk. The defect is that influence and favouritism have diverted the resources in an altogether different way. The Planning Commission itself is not free from this influence and favouritism. When we come to the development of the sugar industry, we notice the establishment of so many sugar factories in areas where the percentage of sucrose content of the sugarcane is comparatively less than in other areas. Also, if it is not out of favouritism, then on what grounds have they recommended the starting and establishing of two more spun silk factories in the country when we do not have adequate supply of the raw materials and the silk waste is insufficient even for the existing factories? Is this not just to fulfil the intentions of a few dynamic persons that these two factories have been included in the Third Plan in spite of strong protests from the Silk Board which is the technical body concerned?

As far as the other aspects of this Bill are concerned, they are intended to assist or to go to the rescue of **the** rural folk or the agriculturists through the co-operative movement, that is to say, through the co-op erative principle. Under clause 9 it is stated that the purpose is to go to the rescue of the uneconomic rural folk by means of these co-operative institutions. How far these co-operative institutions are successfully functioning in this country now is a question to be examined. Nearly 60 to 70 per cent of the rural cooperative institutions are not functioning properly. In one way or the other they are involved in defalcation cases and they are almost in the closing stage. When you are intending to use this co-operative movement tc assist economic development, you. will have to renovate those institutions which are almost on the point of being extinguished. Therefore, this becomes a great problem to be solved. You also intend to promote the import and export of agricultural commodities through these co-operative institutions. It has been our experience in the past that so many attempts at export and import of agricultural commodities have resulted in utter failure. They have not been properly accounted for. Also the benefits have not gone to the poor shareholders because of the interference and malpractices of the middlemen, whom the Government is incapable of taking any action against. They cannot even prevent many of the defalcations. Neither can they prevent the monopoly of these middlemen in these co-operative institu+ions. When this is the state of affairs of these co-operative institutions, I fail to see how the Central Government are of the opinion that they can develop agricultural products through co-operative institutions, with their head office in New Delhi.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member may continue later. Th« House stands adjourned til' 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the Clock.

The House reassembled after lunch at Half-past-two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) in the Chair.

SHRI J. VENKATAPPA: Mr. Vice-Chairman, I was saying that when the functioning of rural co-operative institutions is not satisfactory, the Central Body or the body corporate according to this Bill cannot have much of administrative control over the rural institutions at the State level. Therefore, as all the States are now engaged in establishing their own Warehousing Corporations, I mean to suggest that those Warehousing Corporations at the State level should be affiliated to the Central body corporate and then it will be advisable to divert assistance by way of grant of loans, etc., through those bodies for the purpose of development of agricultural produce.

Under clause 3(a) it is intended to establish the Corporation with nine officials, one representative of the Reserve Bank of India, one of the State Bank of India, one representative of the Central Warehousing Corporation and eight non-officials. Among the eight will come one representative of the National Cooperative Union, two persons well conversant in rural economy and five representatives from the States to represent the agricultural community. As long as we have such persons to participate in such institutions we cannot have better results. What I would like to suggest is that you should nominate more non-officials in which case we can expect the participation of the agricultural community. They will be encouraged to take part in this programme of development of agricultural produce.

Coming to the definitions clause, clause 2, I find that foodstuffs include edible oilseeds. I do not know whether you have included under the item "foodstuffs" potatoes and onions also. They are importable and exportable commodities. They also come under agriculture and I suggest that potatoes and onions be included under foodstuffs.

Then I come to clause 6 which deals with the removal of members. You have provided only for the removal of non-officials, those who are other tftan ex-officio members. On this very same ground it should be possible to remove ex-officio members from office. What practical difficulty will be encountered, I do not understand. Is it bebcause that this Bill was drafted by the officials that they want to exclude themselves from any action that may be taken by Government? This has to be clarified.

Clause 20 provides for the production of a declaration of fidelity and secracy and the form is given in th» Schedule according to which fidelity and secracy have to be declared. *The* question, as Mr. Chordia put before, is that it is nowhere mentioned as to before whom the declarations have to be made. This must be clarified.

As this Bill has already been passed in the Lok Sabha, it may be difficult for Government to go back again to that House or to withdraw the Bill or modify the form of this Bill *so* as to give more representation to the non-officials, I, therefore, advocate that this Bin may be referred to a Select Committee and again be brought here in a modified form.

श्री शीलभद्र याजी : माननीय वाइस चेयरमैन महोदय, नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं ।

अभी देश में कृषि उत्पादन को बहुत आवश्यकता है । इसीलिये यह जो कॉरपोरेशन बनने वाला है इससे देश में जो सहकारी समितियां हैं उनको सहायता मिलेगी और खास करके राज्यों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में और अच्छी खेती करने के लिये इससे फाइनेंशियल मदद मिलेगी । इस बिल की अत्यन्त आवश्यकता है और इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये जो हमारे जनसंघ के प्रतिनिधि एक प्रस्ताव लाये हैं, वह मैं समझता हूं कि विलम्ब करने की नीति है और सदन को उसका विरोध करना चाहिये । जिस समाजवाद को हमने अपनाया है वह शासन पार्टी का आज से नहीं बल्कि बराबर अक़ीदा रहा है । उसने पहले समाजवाद लिया और उसके बाद सोशलिस्ट कोआपरेटिव कॉमनवैल्थ की घोषणा की । हमारी शासन पार्टी के दिमाग़ में बराबर यह रहा है कि जब तक सहकारिता आंदोलन बल नहीं पकड़ेगा और सहकारी संस्था नहीं बनेगी तब तक मुल्क में जल्दी से जल्दी समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि जब तक मिलजुल करके काम करने की नीति नहीं रहेगी तब तक प्राडक्शन भी नहीं बढ़ेगा, चाहे वह औद्योगिक प्रोडक्शन हो या कृषि प्रोडक्शन हो ।

इसके अतिरिक्त मैं केवल शासक पार्टी की बातें नहीं कह रहा हूं, देश में जितनी समाजवादी संस्थाएं हैं उन सब की यह नीति है कि सहकारी आन्दोलन को मदद दी जाय और इसको जन आन्दोलन बनाया जाय । यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में एक ऐसी स्वतन्त्र नामक पार्टी है जिसमें राजे महाराजे, रिऐक्शनरी और फ्यूडल लोग शामिल हैं और उसके एक नेता हमारे डाह्याभाई पटेलजी भी हैं । उस पार्टी के सबसे बड़े नेता श्री राजगोपालाचारी से लेकर नीचे तक सहकारी आंदोलन का और खास तौर से जो कृषि में सहकारी संस्थाएं बनाने की बात सोचते हैं उनका विरोध करते हैं । लेकिन हम लोगों में जो यह समझते हैं कि जल्दी से जल्दी समाजवाद की स्थापना हो और जल्दी से जल्दी ज्यादा कृषि का उत्पादन हो, वे उसकी अहमियत को समझते हैं कि जब तक देश के कोने कोने में सहकारी संस्थाएं नहीं बनेंगी तब तक कोई काम नहीं होगा । इसलिये सहकारी संस्था को बनाने के लिये राज्य सरकारों को जो इसके द्वारा मदद दी जाने वाली है उसका हर एक सदस्य को तहेदिल से समर्थन करना चाहिये और उसका विरोध नहीं करना चाहिये । हमारे एक नेता ने यहां कहा कि सहकारी संस्थाएं तो बन रही हैं, लेकिन जिस तरह से आदमी मोटा हो जाता है, उसका पेट बड़ा हो जाता है और वह चल नहीं पाता है, उसी तरह की हालत सहकारी आन्दोलन, कोआपरेटिव बैंक आदि की हो रही है । मैं समझता हूं कि उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये । फिर उन्होंने जब अपने जिले का हवाला दिया तो यह कहा कि इतना काम हो रहा है, इतने करोड़ का केला बाहर भेजा जाता है । तो उसकी अहमियत को समझते हुये यह कहना कि उसका पेट तो मोटा हो गया है, चला नहीं जाता है, यह उनके लिये शोभा की बात नहीं थी । लेकिन उन्होंने यह बात उठाई ।

हम बार बार शुरू से कह रहे हैं कि सारे देश में कोआपरेटिव्ज होना चाहिये, कोआपरेटिव फार्मिंग होना चाहिये लेकिन उसकी अहमियत को, उसका जो महत्व है उसको, हम जनता के बीच में नहीं ले जा रहे हैं । हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जब तक हम किसानों को यह नहीं समझायेंगे तब तक वह इसे कैसे समझेंगे । हमने सीलिंग तो फिक्स कर दिया है लेकिन फ़ालतू जमीन कृषि मजदूरों को नहीं दी । हमने कहा था कि सीलिंग फिक्स करने के बाद जो फ़ालतू जमीन होगी वह पंचायतों को देंगे । सरकार के पास भी बहुत सी फ़ालतू जमीन है, फैलो लैण्ड है और हमें चाहिये कि जल्दी से जल्दी पंचायत को उसे दें, जो एग्रीकल्चरल लेबरार हैं या जो भूमिहीन किसान हैं, कम जमीन वाले हैं, ग्राम पंचायत

[श्री शीलभद्र याजी]
द्वारा उनको सहकारी संस्था बना कर उसे देना चाहिये ।

इस बिल की धारा ९ में कहा गया है कि बीज के लिये, खेती के औजार के लिये, खाद के लिये हम सब तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं । इस तरह की बात धारा ९ में कही गई है । एक किसान यदि आधुनिक तरीके से खेती करना चाहता है और उसके पास साधन नहीं हैं तो वह फिर कैसे आधुनिक तरीके से खेती कर सकता है । इसलिये जब सरकारी खेती होगी और सहकारी खेती करने के लिये उसको आर्थिक सहायता मिलेगी, अच्छा खाद मिलेगा, अच्छा बीज मिलेगा और सिंचाई का इन्तजाम होगा और जो आधुनिक तरीका है उसके लिये औजार मिलेगा तब ही वह अच्छी तरह से खेती कर सकता है । इसलिये इस आन्दोलन को जब तक जन-आन्दोलन नहीं बनायेंगे और इसको हिन्दुस्तान के कोने कोने में नहीं फैलायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा । हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हर एक गांव में एक पंचायत होनी चाहिये, एक स्कूल होना चाहिये, एक औषधालय होना चाहिये और उसके साथ साथ एक सहकारी समिति भी होनी चाहिये । आज हिन्दुस्तान में ५, ६ लाख गांव हैं और जो जनता के रिप्रजेन्टेटिव्ज हैं उनको यह भार अपने ऊपर लेना है कि वहां इस चीज को जल्दी से जल्दी फैलायेंगे । जितनी समाजवादी पार्टियां हैं एक पार्टी का मैंने शुरू में अपवाद कर दिया, वह पार्टी तो इसका विरोध करेगी लेकिन और जो पार्टियां हैं जो कि सहकारिता के आन्दोलन में विश्वास करती हैं—उनके लिये जरूरी था कि गांव गांव में जाकर किसानों को यह समझाने की कोशिश करतीं कि सहकारिता आन्दोलन का क्या महत्व है क्योंकि जब तक यह जन-आन्दोलन नहीं होगा तब तक लोकप्रिय नहीं होगा और जब तक किसान उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं तब तक सफल नहीं होगा । इसके बारे में सरकार का भी फर्ज था कि सरकार के पास जो फालतू जमीन है, फेलो लैण्ड है, बंजर जमीन है, सीलिंग फिक्स करने के बाद जो जमीन आती है, उसको भूमिहीन लोगों को देती और उस पर कोआपरेटिव फार्मिंग कराती । इसके बाद जब अगल बगल के किसान देखते कि सहकारी खेती करने से इतना फायदा होता है तो उनको भी प्रलोभन होता, इंसेंटिव होता और उनको प्रोत्साहन मिलता लेकिन हमारी सरकार भी कछुए की गति से चलती है, कछुआ जैसे धीमे धीमे चलता है उसी तरह वह भी, उसका काम भी चलता है । लेकिन सरकार का इसे करने का इरादा है और वह करेगी, परन्तु सिर्फ आफ़िशियल्स को ही रख कर करे तो ठीक नहीं होगा । जितने अधिकारी हैं वे न तो कोआपरेटिव के, सहकारिता के महत्व को समझते हैं और न समाजवाद को समझते हैं और उनके हाथ में इस काम को करने के लिये दिया गया है । तो जब तक गैर सरकारी संस्थायें और लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा ।

८ करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन ने सहकारिता की ट्रेनिंग के लिये, प्रशिक्षण के लिये दिया है और मैं समझता हूं कि वह नाकाफी है । जब तक ठीक से प्रशिक्षण नहीं होगा तब तक बगैर ट्रेनिंग के कोई काम होने वाला नहीं है । इसलिये कोआपरेटिव वर्कर्स को तैयार करने के लिये जो ८ करोड़ रुपया रखा गया है उसको डबल करना चाहिये क्योंकि हमारी जो सारी प्लानिंग है, योजना है, उसका सफलीभूत होना, कामयाब होना सहकारिता पर, कोआपरेशन पर निर्भर है । तो कोआपरेशन के वैल्यू को, महत्व को समझाने के लिये वर्कर्स को ट्रेण्ड करने के लिये जो ८ करोड़ रुपया रखा है वह बहुत कम है । जब यह कार्पोरेशन बनेगा तब उसके लिये यह जरूरी होगा कि इस विषय को लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिये पूरा पूरा प्रबन्ध वह करे । यदि हम सहकारी आन्दोलन को जन-प्रिय बनाने में कामयाब होते हैं तो हम जल्दी

से जल्दी समाजवाद की स्थापना कर सकेंगे और तभी हमारा जो प्लानिंग का टार्गेट है उसको हम पूरा कर सकते हैं।

यह जो बिल है इसकी धारा २ में बताया गया है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में क्या क्या होता है। उसमें वेजेटेबिल, शाक सब्जी, तरकारी, फ्रूट वगैरह नहीं है। मछली भी नहीं है जबकि मछली की भी एक तरह से खेती होती है। अभी जब देवकीनन्दन जी बोल रहे थे तो उन्होंने दूध की बात कही थी। वह शाकाहारी हैं और घासखोर लोगों को मछली का नाम लेने में बुरा मालूम होता है लेकिन मैंने उनसे इसके बारे में कहा था। मछली की भी खेती होती है और इसलिये उसको भी इसमें रखना चाहिये। जो नोटीफाइड कमोडिटीज हैं उनमें मछली, पोल्टरी और वेजेटेबिल शाक सब्जी, दूध और फल, को शामिल करना चाहिये।

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० डी० मिश्र) : यह सब फूड स्टफ में शामिल होगा।

श्री शीलभद्र याजी : सब ठीक है लेकिन यह खुलासा नहीं था कि नोटीफाइड कमोडिटीज में मछली भी, पोल्टरी भी, शाक सब्जी भी, फ्रूट भी और दूध भी शामिल है।

अब, जो धारा ६ है उस में यह व्यवस्था की गई है कि सहकारी संस्थाओं की मार्फत हम किसानों को अच्छा बीज देंगे, अच्छे औजार देंगे, अच्छा खाद देंगे और उनके लिये सिचाई वगैरह का प्रबन्ध करेंगे। यह सब करने की सख्त जरूरत है। लेकिन जब कार्पोरेशन बन जाय तो सरकार की ओर से पहला कदम यह उठना चाहिये कि जो इलाका या जो गांव कोआपरेशन के काम में सफलीभूत होते हैं उनको पुरस्कार मिलना चाहिये इसके लिये कोई व्यवस्था करे। अभी देवकीनंदनजी ने बताया कि उनके जिले में केले के उत्पादन से लेकर बिक्री तक का काम और दूसरे काम सहकारी संस्थायें कर रही हैं तो उनको पुरस्कार देना चाहिये। अगर हम और कामों के लिये पुरस्कार देते हैं, खेती के लिये देते हैं और उसको राष्ट्रपति देते हैं तो फिर उसी तरह से अगर कहीं सहकारी संस्थायें ज्यादा से ज्यादा कामयाब होती हैं, सफलीभूत होती हैं तो उनको भी पुरस्कार देना चाहिये। हम जानते हैं कि पंजाब में सहकारी खेती कई जगह हो रही है। जुगियाना गार्डन कालोनी— जो कि हमारे जनरल मोहन सिंह की है— में एक एकड़ में डेढ़ सौ मन पैदा करते हैं। वहां जो जमीन जरखेज नहीं थी, रेत वाली थी उसी जमीन में कोआपरेटिव ढंग से खेती करके, अच्छे बीज दे कर के, अच्छे औजार से काम ले कर के और आधुनिक तरीकों से काम कर के और अच्छा खाद दे कर के, एक एकड़ में डेढ़ सौ मन पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिये हमें प्रोत्साहन की व्यवस्था करनी चाहिये जैसे कि सारे हिन्दुस्तान के लिये कृषि विशारद की उपाधि है, उसी तरह की उपाधि से उन्हें विभूषित करना चाहिए।

तो यह जो बिल है वह बहुत ही अच्छा बिल है और मैं समझता हूं कि चोरड़िया जी ने इसको प्रवर समिति मे भेजने के लिये जो मशविरा दिया है वह डिलेइंग टैक्टिक्स है। कुछ लोग इसमें देर करना चाहते हैं, उनका इरादा कुछ भी हो लेकिन वह इसमें डिले करना चाहते हैं लेकिन यह होने वाली चीज नहीं है। यह लोक सभा से पारित हो कर आया है और पहले ही इस में विलम्ब हो चुका है इसलिये इसको जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये। आप समझें कि देश में यदि उत्पादन नही बढ़ता है तो यह जो भुक्कड़ों की जमात है वह आप को भी खायेगी और हम को भी खायेगी। इसलिये जो जनता के नुमाइंदे हैं उनका यह फर्ज हो जाता है कि वे इस बिल का तहेदिल से समर्थन करें। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन

[श्री शीलभद्र याजी]

करता हूं और जो प्रवर समिति में इसको भेजने की बात है उसका मैं विरोध करता हूं।

हां, एक बात और है। एक साथी ने कह दिया कि जितना काम होता है वह दिल्ली से होता है। जब दिल्ली केन्द्र है, मरकज है, तो यहां से नहीं होगा तो और कहां से होगा? क्या हम स्पुतनिक को ले कर जायेंगे और वहां से करेंगे? या नागपुर जो एक सेंट्रल प्लेस है वहां से सब होगा? यह माना कि जितनी खेती होगी वह देहात में होगी लेकिन जब फ़ौज का संचालन, सारे देश का संचालन, दिल्ली से हो सकता है तो फिर कोआपरेटिव्ज का संचालन क्यों नहीं हो सकता? हमारे कोआपरेटिव्ज का सेंट्रल आफ़िस दिल्ली में नहीं हो कर देहात में हो, इसके कोई माने नहीं हैं और इस तरह की दलील पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

DR. A. SUBBA RAO (Kerala): Mr. Vice-Chairman, the Deputy Minister while moving the motion for consideration of this Bill enthusiastically enumerated the phenomenal progress of the co-operative movement for the past five years. Nobody would deny that there had been some progress in the co-operative movement since independence, but keeping in view our aim of achieving a socialist society at the earliest and the main role that the co-operative movement has to play in establishing this society, are we to be satisfied with the progress that we have made during these years? Is the progress commensurate with the requirements? Have we utilised every opportunity at our disposal to spread this movement? Has all the scope that is available for us been exhausted? I am of opinion tjjat we have not. The co-operative movement, in spite of its advance these years, has been lagging far behind.

SHRI S. D. MISRA: That is exactly what I said.

DR. A. SUBBA RAO: But from your enumeration of the successes during the past five years and from the picture you gave it appeared as if you were patting yourself on your back and said "Well, we have don* very! well indeed." Now, taking the qualitative improvement of the co-operative movement during these years, if you calculate it on a percentage basis, how have we improved our positio

n? Even in respect of th* number of agricultural credit societies, which are supposed to be the mainstay for spreading the co-operative movement in the rural areas, as the Minister has enumerated in his statement, it is 2'13 lakhs and the total membership 17:3 million in 1960-61. When compared to the posi-tion ten years back, this can be interpreted as a phenomenal growth, a > hundred per cent, growth. But when you take the total population in the rural areas and compare the population which has been covered by the cto-ope-rative movement all these years, yon will realise to what little extent you have advance. The total population, according to the latest census figure, in the rural areas is about 360 million. Taking the average family as consisting of five members, if we calculate the number of persons who have been covered by the co-operative move^ ment, we will find that it comes to about 87.5 million. That works ou* to nearly 24.3 per cent., that is, oul of 100 persons, nearly 75 have been left out of the purview of the co-operative movement, for the past fifteen years. It may be argued that these are not the only co-operative societies and there are other types of co-operative societies also, and thai if all the membership of these societies is taken into consideration, we have covered a greater percentage. I concede that if you include all types of societies and the number of members covered by them, it comes to nearly 30.3 million. The percentage work3 out to 34.5. That means we have got another 65 per cent, to be covered. I do not think that this picture is a picture with which we can I be highly satisfied.

Now, Sir, what is the strata of the people that you have covered by these co-operative societies? Is it the strata which do not have their own Internal resources and which require pooling of their resources and some amount of governmental help? Is it these strata which have been brought within this co-operative movement, or is it the strata which have got their own means, their own resources, resources by which they can improve the agricultural production? It is these strata which are slowly brought under these co-operative societies. From my experience of being in the co-operative movement, I feel that the upper and the richer peasantry is in a greater proportion than actually the weaker section of the rural population. It has been agreed to by Mr. Jayaprafcash Narayan in his report on the weaker section of the society. There also it is stated that a large percentage of the weaker section of the society, which constitutes the greater part of the rural population, has not yet been covered by the co-operative movement The very people, to whom the co-operative movement is necessary for bettering their lives, for increasing the agricultural production, have been left out of the co-operative movement. This has been admitted in the annual report for the year 1961-62, where on age 31 it is state:—

> "There has also been a tendency in the past for the benefits of the co-operative "movement to gravitate towards the bigger farmers. This has been sought to be corrected by amending the law suitably in order to provide rights of appeal against refusal to admit a person as a member of a co-operative".

It is good that it is written in the book, but how far has this directive been implemented in the villages? How far have the co-operative societies brought it into force and how far have the weaker sections of the people been able to enter the co-operative movement? That is the question. Now, when we take into account the qualitative improvement, compared to the growth of all societies, it is true that the credit societies have increased in number and itt their membership as well.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) : Dr. Subba Rao, you have to stop here. We have to take up the other motion now. You may continue on the next day.

3 P. M.

MOTTON RE FOURTH ANNUAL REPORT OF THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि :

> "भारतीय जीवन बीमा निगम के ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त हुए वर्ष के लिए चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो २९ नवम्बर, १९६१ को राज्य सभा की मेज पर रखा गया था, विचार किया जाये ।"

इसको रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमने जीवन बीमा सम्बन्धी जो राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई और उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति में हम कहां तक सफल हुए, इस ओर हम थोड़ा सा विचार करें । हमारा लक्ष्य यह था कि यह जो व्यक्तिगत कम्पनियों में गड़बड़ चलती थी, उसकी आमदनी का लाभ कुछ ही लोगों तक सीमित था और क्लेम्स के भुगतान में जो कई तरह की गड़-बड़ियां होती थीं, कर्मचारियों को ठीक तरह से वेतन नहीं मिलता था, इन सारी बुराइयों को मिटाने की दृष्टि से हमने एकमात्र यह तरीका उचित समझा कि हमारे यहां इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और उसके लिए एक निगम की स्थापना कर दी जाय । इसी आशय के आधार पर निगम की स्थापना की गई । दुर्भाग्यवश उसकी ठीक